

BENCH No. - 16

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिस केस संख्या- 138 /2020

धारा-107 दं०प्र०सं०

शारदोड सरकार, इरा  
खिरसानगर पोना।

-बनाम-

शैलन प्रसाद  
एवं अन्य - 2

23/22

आदेश

अभिलेख आज राष्ट्रीय ' लोक अदालत में  
उपस्थापित किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि  
प्रस्तुत वाद में दोनों/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस  
का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्रप्त है। इस वाद की  
कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक  
समय बीत चुका है। धारा-107 दं०प्र०सं० की कार्रवाई  
की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः  
थाना अथवा अन्य किसी श्रोत्र से शांति भंग होने की  
आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की  
जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत  
है, तो उसे वापस लिया जाता है।

Member

Member